

मूल वाद में डिक्री

राजस्व लोक अदालत अभियान

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्याय आपके द्वार-2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट 2 केएसपी)

1. आलोक पुत्र भीमसैन जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. अरमान } पि0 सरजीत नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता सुनिता पत्नी सरजीत
3. सुमित } जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
4. सुनिता पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र धन्नाराम } कौम जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. भीयाराम पुत्र हेतराम }
3. गीता पुत्री इमरती देवी पत्नी दयानन्द जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. साक्षी पुत्री सरजीत पत्नी रामदयाल जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी।
5. अल्का पत्नी कुलदीप पुत्री भीयाराम जाति जाट निवासी काशी का वास ऐलनावाद तहसील ऐलनावाद जिला सिरसा।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-257/2018

अन्तर्गत धारा:-53,88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-21.6.2018

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

(क)-वादी सं.1 आलोक को प्राप्त आराजी:-चक नं. 6 आरडब्ल्यूडी के प0न0 229/359 मु0 22 किला नं0 1/.253 मय खाला, 2/.205, .025 खाला, 9/.205, 10/.253 मय खाला, 11/.253 मय खाला, 12/.205, 19/.205, 20/.253 मय खाला, 21/2/.227 मय खाला, 22/2/.205 तथा चक केहरवाला वारानी के प0न0 234/369 मु0 15 किला नं0 14,15,16,17,24/2/.228, 25/2/.228, प0न0 235/369 मु0 16 किलान0 16,17,18, 19,20, 21/2/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/2/.228 है. आराजी।

(ख)-वादी सं0 2 अरमान को प्राप्त आराजी:-चक नं0 6 आरडब्ल्यूडी के प0न0 229/359 मु0 22 किला नं0 5/.253 मय खाला, 6/.253, 15/.253, 16/.253, 25/2/.228, तथा चक केहरवाला वारानी के प0न0 235/370 मु0 29 किला नं0 6 ता 10, 11/.211, 12/.211, 13/.211, 14/.211, 15/.211, प0न0 234/370 मु0 30 किलानं0 6,7,15/.210 है. आराजी।

(ग)-वादी सं0 3 सुमित को प्राप्त आराजी:-चक नं0 6 आरडब्ल्यूडी के प0न0 229/359 मु0 22 किला नं0 4/.253 मय खाला, 7/.253, 14/.253, 17/.253, 24/2/.228 तथा चक केहरवाला वारानी के प0न0 234/371 मु0 31 किला नं0 5, प0न0 235/370 मु0 29 किला नं0 11/.042, 12/.042, 13/.042, 14/.042, 15/.042, 16 ता 20, 21/2/.253, 22/2/.253, 23/2/.253, प0न0 234/370 मु0 30 किला नं0 15/.043, 16,25 है.आराजी।

(घ)-वादीया सं0 4 सुनिता को प्राप्त आराजी:-चक नं0 6 आरडब्ल्यूडी के प0न0 229/359 मु0 22 किला नं0 2/.023, 3/.253 मय खाला, 8/.253, 9/.048, 12/.048, 13/.253, 18/.253, 19/.048, 22/.023, 23/2/.228 तथा चक

केहरवाला बारानी के प०न० 236/369 मु० 17 किला नं० 23/.209, 24/.210, प०न० 236/370 मु० 28 किला नं० 3,4, 9/.202, 10/2/.202, 11/2/.253, 12,19, 20/2/.202, है. आराजी।

(ड) प्रतिवादी सं० 2 भीयांराम को प्राप्त आराजी:-चक नं० 6 आरडब्ल्यूडी के प०न० 228/359 मु० 23 किला नं० 4/.253 मय खाला, 5/.253 मय खाला, 6,7,15,16,25 तथा चक केहरवाला बारानी के प०न० 234/370 मु० 30 किला नं० 4,5, प०न० 235/370 मु० 29 किला नं० 1ता5,प०न० 236/369 मु०17 किला नं० 7, 13, 14, 17,18,19, 20/2/.202, 21/2/.202, 22, 23/.044, 24/.043, प०न० 236/370 मु० 28 किला नं० 1/2/.202, कि.नं. 2 आराजी

उपर्युक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी की आराजी का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक नं.6 आरडब्ल्यूडी के खाता सं० 27/4 में से गीता,साक्षी, इसी चक के खाता सं० 47/37 में से सरजीत का नाम, इसी चक के खाता सं० 26/23 में से भीयांराम का नाम कलमजन व चक केहरवाला बारानी के खाता सं० 114/9 में से हेतराम, सरजीत का नाम कलमजन व भीयांराम का हिस्सा कम तथा इसी चक के खाता सं० 99/87 में सुनीता, साक्षी का नाम कलमजन व सुमित व अरमान का हिस्सा कम, तथा इसी चक के खाता सं. 62/54 में से भीयांराम का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 21.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीटसीन अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0